"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 मई 2018 — वैशाख 26, शक 1940

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-2 (1)/48/सं. का./2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (कक) सहपठित धारा 5-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 9 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क) में, अंक, शब्द एवं कोष्टक "रुपये 10,000 (रुपये दस हजार)" के स्थान पर, अंक, शब्द एवं कोष्टक "रुपये 20,000 (रुपये बीस हजार)" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत कुमार पहारे, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2018

क्रमांक/एफ-2 (1)/48/सं. का./2018.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत कुमार पहारे, सचिव.

Naya Raipur, the 16th May 2018

NOTIFICATION

No. F -2 (1)/48/p. a. d./2018. — In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of Section 9 read with Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Legislative Assembly Members (Free Transit by Railway) Rules, 1978, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 9, in sub-rule (1), in clause (a), for the figure, words and parentheses "Rupees 10,000 (Rs. ten thousand)", the figure, words and parentheses "Rupees 20,000 (Rs. Twenty thousand)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HEMANT KUMAR PAHARE, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.